भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार

से संबंधित

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्‌वारा लागू विभिन्न

प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं

1. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक एवं रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक

विधा	पुरस्कार की राशि	पुरस्कारों की संख्या
कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक	5,000/-रू नकद	01
रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक	4,000/-रू नकद	30

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा विभिन्न रेलों के उन महाप्रबंधकों, जिनका अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दृष्टि से उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान रहा है तथा जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा देने के अलावा, स्वंय भी हिंदी में काम करते हैं, उन्हें **कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक** (1) तथा 5,000/-रू नकद प्रदान किया जाता है. इसी तरह, एचएजी एवं एसएजी ग्रेड के 30 अधिकारियों को **रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक** तथा 4,000-4,000/-रू नकद के साथ-साथ प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित करने की व्यवस्था है.

2. प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार

रेलकर्मी लेखकों की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय द्वारा प्रचलित प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना लागू है जिसके अंतर्गत, प्रतिवर्ष निम्नलिखित 3-3 पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार की राशि	पुरस्कारों की संख्या
(क)	कथा/कहानी संग्रह एवं उपन्यास	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	15,000/-रू 7,000/-रू 3,300/-रू	03
(ख)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	15,000/-रू 7,000/-रू 3,300/-रू	03

(क) नियमानुसार, रेलकर्मी लेखकों/कवियों से पुरस्कार वर्ष से पिछले 03 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित/टंकित रचनाएं पुरस्कार हेतु आमंत्रित की जाती हैं.

(ख) कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य, गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार दिया जाएगा.

(ग) **इस योजना के अंतर्गत केवल सेवारत रेलकर्मी ही भाग लेने के पात्र होंगे.**

3. <u>लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार</u>

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना" लागू है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कारों की व्यवस्था है:-

1. प्रथम पुरस्कार (एक)	:	15,000/-रू
2. द्वितीय पुरस्कार (एक)	:	7,000/-रू
3. तृतीय पुरस्कार (एक)	:	3,300/-रू

(क) नियमानुसार, **इस पुरस्कार योजना में सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी एवं रेलवे से इतर लेखक भी भाग ले सकते हैं.**

(ख) पुस्तक मौलिक रचना होनी चाहिए अर्थात वह किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का अनुवाद न हो.

(ग) जिस मौलिक पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्षों में लिखी गई हो अथवा प्रकाशित हुई हो.

(घ) **पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंधन से संबंधित** होना चाहिए.

4. <u>रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता</u>

वर्ग	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि	पुरस्कारों की संख्या
राजपत्रित वर्ग	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार	6,000/-रू 4,000/-रू	02
अराजपत्रित वर्ग	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार	6,000/-रू 4,000/-रू	02

रेल मंत्रालय की अखिल भारतीय स्तर पर **रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता** नामक पुरस्कार योजना लागू है, जिसके अंतर्गत राजपत्रित और अराजपत्रित वर्गों के लिए 2-2 पुरस्कार निर्धारित हैं.

(क) नियमानुसार, कोई भी कर्मचारी राजपत्रित/अराजपत्रित, जिसने 03 महीने की रेल सेवा पूरी कर ली हो, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है.

(ख) प्रत्येक रेल कर्मचारी केवल एक निबंध (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा.

(ग) हिंदी निबंध कागज़ के एक ओर डबल स्पेस में टाइप होना चाहिए और निबंध 2500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए.

(घ) हिंदी निबंध प्रधान कार्यालय के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भिजवाएं जाएं.

5. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना

विधा	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	4,000/-रू 3,000/-रू 2,000/-रू

रेल मंत्रालय की अखिल भारतीय स्तर पर रेल यात्रा वृत्तांत नामक पुरस्कार योजना लागू है, जिसके अंतर्गत आम जनता और रेल कर्मियों के रेल यात्रा संबंधी अनुभव/संस्मरण लिखित रूप में हिंदी में आमंत्रित किए जाते हैं.

(क) नियमानुसार, कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है.
(ख) रेल यात्रा वृत्तांत कम से कम 3000 शब्दों में होना चाहिए.
(ग) रेल यात्रा वृत्तांत हिंदी में और मौलिक होना चाहिए.
(घ) रेल यात्रा वृत्तांत दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा.

6. अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं

रेल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दृष्टि से, रेल मंत्रालय प्रति वर्ष अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है. पहले ये प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं और इन प्रतियोगिताओं में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वालों को रेल मंत्रालय द्वारा अखिल रेल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता है.

उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है.

पुरस्कार	अखिल रेल स्तर पर	क्षेत्रीय स्तर पर
प्रथम (01)	3,000/-रू	2,000/-रू
द्वितीय (01)	2,500/-रू	1,600/-रू
तृतीय (01)	2,000/-रू	1,200/-रू
सांत्वना	1,500/-रू प्रत्येक (5 पुरस्कार)	800/-रू प्रत्येक (3 पुरस्कार)

इन प्रतियोगिताओं में श्रेणी-3 के विभिन्न भाषा-भाषी कर्मचारी/अधिकारी (जे.ए. ग्रेड तक) ही भाग ले सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर केवल प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ही इस योजना में भाग लें सकते हैं.

7. <u>अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव</u>

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष अखिल रेल स्तर पर हिंदी नाट्योत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रेलों तथा उत्पादन कारखानों के नाट्यदल भाग लेते हैं.

अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव के आयोजन से पहले क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन कारखानों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी नाट्योत्सव का आयोजन किया जाता है तथा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित नाट्योत्सव में चुने गए सर्वश्रेष्ठ नाटक को ही अखिल रेल नाट्योत्सव में शामिल किया जाता है. इस प्रकार, अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव में प्रतिवर्ष लगभग 18-20 नाट्यदल भाग लेते हैं.

"अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव" में घोषित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नाटकों के अलावा, नाटक की विभिन्न विधाओं से जुड़े 15 अन्य पुरस्कार भी निम्नानुसार दिए जाते हैं:-

प्रथम पुरस्कार	5,000/-रू + ट्रॉफी
द्वितीय पुरस्कार	4,000/-रू + ट्रॉफी
तृतीय पुरस्कार	3,000/-रू + ट्रॉफी
5 सांत्वना पुरस्कार (स्मृति चिन्ह + नकद पुरस्कार)	2,000/-रू + स्मृति चिन्ह (प्रत्येक को)
नाटक की विभिन्न विधाओं से जुड़े 15 पुरस्कार	1,000/-रू + स्मृति चिन्ह (प्रत्येक को)

8. <u>रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना</u>

विधा	पुरस्कार की राशि	पुरस्कारों की संख्या
व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना	1,500/-रू नकद	134

सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए (प्रत्येक रेल कार्यालय के लिए कोटा निर्धारित), जिसमें 1,500/-रू के 134 पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं.

(क) नियमानुसार, इस योजना के अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से जे.ए.ग्रेड के अधिकारियों तक की अनुशंसा भेजी जा सकती है.

(ख) पुरस्कार की पात्रता के लिए अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 50% और हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 75% काम हिंदी में किए जाने की अनिवार्यता होगी.

(ग) प्रत्येक रेलवे/उत्पादन कारखानें निर्धारित किए गए अपने कोटे से अधिक की अनुशंसा नहीं भेजेंगे.

(घ) प्रत्येक रेलवे/उत्पादन कारखानें द्वारा अनुशंसित नामों का अनुमोदन अपने कार्यालय प्रमुख से लेना आवश्यक होगा.

(ङ) इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले तीन (03) वर्ष तक नहीं की जा सकती है.

9. <u>रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्राफी तथा चल वैजयंती पुरस्कार योजना</u>

<u>"क" एवं "ख" क्षेत्रों में स्थित</u>

1.	**रेलवे मुख्यालय**	(क) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड	प्रथम
		(ख) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी	द्वितीय
2.	**आदर्श मंडल**	आचार्य महावीर प्रसाद चल वैजयंती	एक पुरस्कार
3.	**आदर्श स्टेशन/वर्कशॉप**	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + 7000/-रु.नकद	एक पुरस्कार

<u>'ग' क्षेत्रों में स्थित</u>

4.	**रेलवे मुख्यालय**	(क) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड	प्रथम
		(ख) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी	द्वितीय
5	**आदर्श मंडल**	आचार्य रघुवीर प्रसाद चल वैजयंती	एक पुरस्कार
6.	**आदर्श स्टेशन/वर्कशाप**	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + 7000/- रु. नकद	एक पुरस्कार

<u>उत्पादन यूनिटें ('क' एवं 'ख' क्षेत्र)</u>

7.	**आदर्श यूनिट**	(क) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड + 7000/-रु नकद	प्रथम
		(ख) श्री शिवसागर मिश्र चल वैजयंती	द्वितीय

<u>'ग' क्षेत्रों में स्थित</u>

8.	**आदर्श यूनिट**	(क) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड + 7000/-रु नकद	प्रथम
		(ख) रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी	द्वितीय

10. <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना</u>

हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा वर्ष के दौरान कम से कम 20,000 – 10,000 शब्दों का डिक्टेशन, जिसके लिए "क" और "ख" क्षेत्र के लिए – 2,000/-रू और "ग" क्षेत्र के लिए – 2,000/-रू तथा प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था है.

(क) नियमानुसार, प्रत्येक विभाग में 02 पुरस्कार, एक हिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास 'क' और 'ख' क्षेत्र हो) और 01 गैर हिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास 'ग' क्षेत्र हो) को पुरस्कार देने की व्यवस्था है.

(ख) ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिकों की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यत: डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

(ग) वे अधिकारी इस पुरस्कार के पात्र होंगे, जो वर्ष में कम से कम 20,000 शब्दों की डिक्टेशन देंगे.

(घ) अहिंदी भाषी अधिकारियों के लिए वर्ष में कम से कम 10,000 शब्दों की डिक्टेशन देंगे.

(ड) उपर्युक्त योजना की अवधि वित्तीय वर्ष है.

11. <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की 20,000/10,000 शब्दों वाली योजना (टिप्पण/प्रारूप लेखन)</u>

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, सरकारी कामकाज (टिप्पण एवं आलेखन) मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपर्युक्त योजना लागू है.

इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष के दौरान क्रमश: 20 हज़ार शब्द तथा हिंदीतर अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 हज़ार शब्द हिंदी में फाइलों पर टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि के रूप में लिखने के आधार पर निम्नानुसार 10 नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:-

प्रथम – 2,000/-रू,	(2 पुरस्कार)
द्वितीय – 1,200/-रू,	(3 पुरस्कार)
तृतीय – 600/-	(5 पुरस्कार)

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:-

प्रथम – 1,600/-रू,	(2 पुरस्कार)
द्वितीय – 800/-रू,	(3 पुरस्कार)
तृतीय – 600/-रू	(5 पुरस्कार)

12. <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की पुरस्कार भत्ता योजना</u>

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, इस योजना में वे टाइपिस्ट/आशुलिपिक भाग लेने के पात्र हैं, जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 5 पत्र/टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा 300 पत्र/प्रारूप/टिप्पणियां प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं. सरकारी काम करने के लिए अंग्रेज़ी टाइपिस्ट/आशुलिपिक को हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के रूप में निम्नलिखित भत्ता प्रदान किया जाता है:-

आशुलिपिक – 240/-रू प्रतिमाह
टाइपिस्ट – 160/-रू प्रतिमाह

13. <u>सामूहिक पुरस्कार योजना</u>

रेलों, उत्पादन कारखानों आदि तथा रेलवे बोर्ड में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों/निदेशालयों के लिए लागू सामूहिक पुरस्कार योजना लागू है, जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

प्रथम – 9,000/-रू,	(1 पुरस्कार)
द्वितीय – 6,000/-रू,	(1 पुरस्कार)
तृतीय – 4,000/-रू	(1 पुरस्कार)

(क) नियमानुसार, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के प्रयोजन से प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक वर्ष की अवधि गणना में ली जाएगी.

(ख) पुरस्कारों के प्रयोजन से निर्धारिम प्रोफार्मा में संकलित किए गए आंकड़ो को ही आधार बनाया जाएगा.

(ग) इस योजना के प्रयोजन हेतु रेलवे बोर्ड तथा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के प्रत्येक निदेशालय को और रेलों/मंडलों तथा उपक्रमों आदि के प्रत्येक विभाग को एक इकाई माना जाएगा.

(घ) इस योजना के लिए पुरस्कारों की राशि की व्यवस्था संबंधित रेलवे/कार्यालय/ उपक्रमों द्वारा अपने निर्धारित बजट से की जाएगी.

(ड़) जिस विभाग/निदेशालय को पिछले वर्ष प्रथम पुरस्कार दिया गया है, उसे चालू वर्ष में प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा.

14.1 <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन संबंधी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना</u>

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार लागू है, जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

2,00,000/-रू	प्रथम (01)
1,25,000/-रू	द्वितीय (01)
75,000/-रू	तृतीय (01)
10,000/-रू	प्रोत्साहन (10)

(क) नियमानुसार, लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए.

(ख) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है.

(ग) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों. अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं है.

(घ) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें प्राप्त नहीं होगी.

(ङ) इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य है.

(च) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो.

(छ) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है.

(ज) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा.

14.2 <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी में मौलिक लेखन संबंधी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना</u>

केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार लागू है, जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

1,00,000/-रू	प्रथम (01)
75,000/-रू	द्वितीय (01)
60,000/-रू	तृतीय (01)
30,000/-रू	प्रोत्साहन पुरस्कार

(क) नियमानुसार, इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मियों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है.

(ख) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों. अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं है.

(ग) इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य है.

(घ) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो.

(ड) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है.

(च) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा.

14.3 <u>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की उत्कृष्ट लेखा संबंधी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना</u>

केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार लागू है, जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

	<u>हिंदी भाषी</u>	**<u>अहिंदी भाषी</u>**
प्रथम (01)	20,000/रू	25,000/रू
द्वितीय (01)	18,000/रू	22,000/रू
तृतीय (01)	15,000/रू	20,000/रू

(क) नियमानुसार, केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक कार्मिक इस योजना में भाग लेने के योग्य है.

(ख) लेख विभागीय अथवा किसी भी पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए.

(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो.

(घ) हिंदीत्तर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो.